न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–3 हमीरपुर।

पीठासीनः–**राधेश्याम यादव।।** (उच्चतर न्यायिक सेवा)
विशेष वाद संख्या–170/2010
राज्य बनाम 1.हनुमान पुत्र श्री विश्वनाथ केवट
निवासी ग्राम धुन्धपुर थाना
सुमेरपुर जिला हमीरपुर।

धाराः– 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना सुमेरपुर, जिला हमीरपुर।
मु0अ0स0:– 1347/2010

एवं

सत्र परीक्षण संख्या–186/2010
राज्य बनाम 1.हनुमान पुत्र श्री विश्वनाथ केवट
निवासी ग्राम धुन्धपुर थाना
सुमेरपुर जिला हमीरपुर।

धाराः– 25 आयुध अधिनियम
थाना सुमेरपुर, जिला हमीरपुर।
मु0अ0स0:– 1348/2010

निर्णय

1. थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्त हनुमार के विरूद्ध मु0अ0सं0 1347/2010 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 व मु0अ0स0 1348/2010 धारा 25 आयुध अधिनियम में पृथक पृथक आरोपपत्र प्रेषित किये गये। जिन पर क्रमशः अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0।। हमीरपुर द्वारा दिनॉक 06.09.2010 व 07.09.2010 को प्रसंज्ञान लिया गया जो निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुए।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक उपनिरीक्षक शिवप्रसाद की फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के अनुसार इस प्रकार है कि ''आज दिनॉक 7.7.2010 को मैं एस0आई0 शिवप्रसाद मय का0 केशवदास, का0 अजय कुमार के साथ गस्त व जॉच में थाना हाजा से जरिये रपट नं0 26 समय 17:30 बजे रवाना होकर ग्राम पारा का गस्त करते व जॉच करके ग्राम धुन्धपुर जा रहा था। जैसे ही हम लोग प्राईमरी पाठशाला धुन्धपुर के सामने पहुॅचे तो प्राईमरी पाठशाला के सामने एक व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा दिखाई दिया जिस पर टार्चो की रोशनी डाली गयी तो वह व्यक्ति टार्च की रोशनी में हम पुलिस वालों को देखकर सकपकाया और भागना चाहा परन्तु हम पुलिस वालों ने भागने का मौका दिये वगैर मौके में ही संदेह के आधार पर समय करीब 20:10 बजे पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूॅछा गया तो उसने अपना नाम हनुमान केवट पुत्र विश्वनाथ केवट निवासी धुन्धपुर थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर बताया तथा यह भी बताया कि मेरे पास डायलापाम की नशीली गोलियॉ व तमंचा कारतूस है। इसलिए

आपको देखकर भागना चाह रहा था। इस पर पकड़े गये व्यक्ति को बताया गया कि डायजापाम की नशीली गोलियॉ एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आती है। एन0हडी0पी0एस0 एक्ट में आपको विधिक अधिकार प्राप्त है कि आपकी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी। जिस पर पकड़े गये व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी के पास नहीं जाना है आप ही तलाशी ललें चाहें तो मेरी तरफ से सहमति पत्र लिखले मैं हस्ताक्षर बना दूॅगा। इस पर मुझ एस0आई0 द्वारा मौके पर ही टाचों की रोशनी में सहमति पत्र तैयार करके पढ़कर सुनाकर अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये तथा नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी तो पहने पैन्ट की दाहनी जेब से एक पालीथिन में लिपटी चार रैपरों में 260 गोली डायजापाम बरामद हुई तथा पहने पैन्ट की बांयी तरफ कमर में खुसा हुए एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व एक अदद कारतूस बरामद किया गया। पकड़े गये व्यक्ति हनुमार से नशीली गोलियॉ व तमंचा कारतूस रखने का लाईसेंस मांगा गया तो नहीं दिखा सका। अतः उसका यह कृत्य धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट व धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध से अवगत कराकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का पालन करते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामदशुदा डायजापाम की गोलियॉ को रैपरों से अलग करके तौल की गयी तो तो 60 ग्राम निकलाा। बरामदशुदा गोलियों को मय रैपरों के एक अलग सफेद कपड़े में रखकर तथा तमंचा व कारतूस को एक अलग सफेद कपड़े में रखकर सिलकर शीलमुहर किया गया तथा नमूना मोहर बनाया गया। गिरफ्तारी मेमों मौके पर तैयार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजन को थाने से भिजवायी जायेगी। फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर हमराहियान व अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी।

3. उपनिरीक्षक शिवप्रसाद की उपरोक्त फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना सुमेरपुर में मु0अ0स0 1347/2010 धारा 8/22 एन0डी0पी0ए0 एक्ट व मु0अ0स0 1348/2010 धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त हनुमान के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। जिसका उल्लेख कायमी जी0डी0 की नकल रपट सं0 35 समय 22:40 बजे थाना सुमेरपुर में किया गया तथा विवेचक को विवेचना दी गयी। विवेचक ने गवाहों के बयान लिये मौके का नक्शा नजरी बनाया अभियुक्त से बरामद नशीली गोलियों को जॉच हेतु विधि विज्ञान प्रयोग शाला आगरा भेजा तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त हनुमान के विरूद्ध मु0अ0स0 1347/2010 धारा 8/22 एन0डी0पी0ए0 एक्ट व मु0अ0स0 1348/2010 धारा 25 आयुध अधिनियम में पृथक पृथक आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये। तत्पश्चात दोनों पत्रावलियॉ निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित होने पर प्राप्त हुई।

4. थाना सुमेरपुर की पुलिस द्वारा धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट व धारा 25 आयुध अधिनियम में प्रेषित आरोपपत्रों पर क्रमशः अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0।। हमीरपुर द्वारा दिनॉक 06.09.2010 व 07.09.2010 को प्रसंज्ञान लिया गया। मुल्जिम को तलब किया गया उसे आवश्यक अभियोजन कागजातों की नकले

दी गयी तथा उसके विरूद्ध आरोप लगाये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर दिनॉक 29.11.2010 को धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में व दिनॉक 07.09.2011 को धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त हनुमान के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये गये जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की मॉग की।

5. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ0) की ओर से दिनॉक 07.09.2011 को प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विशेष वाद सं0 170/2010 राज्य बनाम हनुमान धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना सुमेरपुर अपराध सं0 1347/2010 व सत्र परीक्षण सं0 186/2010 राज्य बनाम हनुमान धारा 25 आयुध अधिनियम थाना सुमेरपुर अपराध संख्या 1348/2010 एक ही घटना से सम्बन्धित वाद हैं इस कारण दोनों वादों का निस्तारण एक साथ किया जाना आवश्यक है। दोनों वादों को एक साथ समेकित करके विचारण किये जाने की प्रार्थना की गयी। प्रार्थनापत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनॉक 07.09.2011 को दोनों वादों को समेकित किया गया तथा विशेष वाद सं0 170/2010 प्रमुख वाद के रूप में चलाये जाने का आदेश पारित किया गया।

6. अभियोजनपक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में पी0डब्लू0–1 का0 अजय कुमार, पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक शिवप्रसाद तथा पी0डब्लू0–3 का0 केशवदास को प्रस्तुत एवं परीक्षित कराया गया। इस स्तर पर अभियुक्त हनुमार द्वारा जुर्म इकबाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा 294 दं0प्र0सं0 के तहत अभियोजन प्रपत्रों की वैधानिक औपचारिकता को स्वीकार किया गया। तत्पश्चात अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

7. अभियुक्त के बयान द0प्र0स0 की धारा 313 के अन्तर्गत लिखे गये। अभियुक्त ने अपने धारा 313 दं0प्र0सं0 के बयान में यह कथन किया गया है कि यह सही है कि दिनॉक 7.7.2010 को मेरे कब्जे से नशीली गोलियॉ डायजापाम एवं अवैध तमंचा बरामद हुआ था। साक्षियों ने सही गवाही दी है। मैं अपनी इच्छा से जुर्म स्वीकार कर रहा हूॅ। मैं गरीब व्यक्ति हूॅ। मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे है उनकी देखभाल करने वाला एवं भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है कोई पैरवी करने वाला नहीं है।

8. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक रूप से अवलोकन व परिशीलन किया।

9. अभियोजनपक्ष की ओर से प्रस्तुत एवं परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–1 का0 अजय कुमार ने अपने साक्ष्य में बताया है कि ''दिनॉक 7.7.2010 को मैं थाना सुमेरपुर में कान्स्टेबलके पद पर कार्यरत था। उक्त तिथि को समय 17:30 बजे जरिये नकलरपट नं0 26 थाना हाजा से एस0आई0 शिवप्रसाद, का0 केशवदास के साथ वास्ते जॉच कैथी क्षेत्र के

लिए रवाना हुए थे। जब हम लोग धुन्धपुर प्राईमरी पाठशाला के पास पहुॅचे तो सड़कके किनारे एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। टार्च की रोशनी डालने पर वह व्यक्ति देखकर भागने लगा कि मौका दिये वगैर एस व्यक्ति को समय करीब 20:10 बजे पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूॅछा गया तो उसने अपना नाम हनुमान केवट पुत्र विश्वनाथ केवट निवासी ग्राम धुन्धपुर थाना सुमेरपुर बताया और यह भी बताया कि मेरे पास डायजापाम की नशीली गोलियॉ है इसलिए भागना चाह रहा था। इस पर एस0आई0 शिवप्रसाद ने पकड़े गये व्यक्ति को बताया कि एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत आपको यह अधिकार है कि आपकी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी मजिस्ट्रेट के सामने ली जाय। इस पर पकड़े गये व्यक्ति ने कहा कि मुझे आप लोगों के ऊपर विश्वास है आप सहमति पत्र लिखले मैं तैयार हूॅ उस पर स्वेच्छा से अंगूठा लगाऊॅगा। इस पर मौके पर ही एस0आई0 शिवप्रसाद ने सहमति पत्र तैयार किया। पकड़े गये व्यक्ति को पढ़कर सुनाया तो उसने अपना निशानी अंगूठा सहमति पत्र पर लगाया। मैंने व हमराही कान्स्टेबल केशवदास ने भी अपने अपने हस्ताक्षर मौके पर बनाये थे। पत्रावली में संलग्न सहमतिपत्र कागज सं0 8क एस0आई0 शिवप्रसाद ने तैयारकिया था जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। पकड़े गये व्यक्ति से नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी तो पहने पैन्ट की जेब से एक पालीथिन में लिपटी 260 गोली डायजापमा तथा एक तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुआ। नशीली गोलियॉ व तमंचा रखने का लाईसेंस मांगा गया तो नहीं दिखा सका। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का पालन करते हुए अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लिया गया। डायजापाम की गोलियों की तौल की गयी तो 60 ग्राम निकली। बरामद गोलियों व तमंचा कारतूस को अलग अलग कपड़े में रखकर सिलकर सर्वमुहर कर नमूना मोहर बनाया गया। फर्द मौके पर एस0आई0 शिवप्रसाद द्वारा लिखी गयी जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। गिरफ्तारी प्रपत्र एस0आई0 शिवप्रसाद ने मौके पर अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया।

पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक शिवप्रसाद ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनॉक 7.7.2010 को मैं एस0आई0 शिवप्रसाद मय का0 केशवदास, का0 अजय कुमार के साथ गस्त व जॉच में थाना से जरिये रपट नं0 26 समय 17:30 बजे रवाना होकर ग्राम पारा का गस्त करते व जॉच करके ग्राम धुन्धपुर जा रहा था। जैसे ही हम लोग प्राईमरी पाठशाला धुन्धपुर के सामने पहुॅचे तो प्राईमरी पाठशाला के सामने एक व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा दिखाई दिया जिस पर टार्चो की रोशनी डाली गयी तो वह व्यक्ति टार्च की रोशनी में हम पुलिस वालों को देखकर सकपकाया और भागना चाहा परन्तु पुलिस वालों ने भागने का मौका दिये वगैर मौके में ही संदेह के आधार पर समय करीब 20:10 बजे पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूॅछा गया तो उसने अपना नाम हनुमान केवट पुत्र विश्वनाथ केवट निवासी धुन्धपुर थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर बताया तथा यह भी बताया था कि मेरे पास डायलापाम की नशीली गोलियॉ व तमंचा कारतूस है। इसलिए आपको देखकर भागना चाह रहा था। इस पर पकड़े गये व्यक्ति को बताया गया कि डायजापाम की नशीली गोलियॉ एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आती है। एन0हडी0पी0एस0 एक्ट में आपको विधिक अधिकार प्राप्त है कि आपकी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष

होगी। जिस पर पकड़े गये व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी के पास नहीं जाना है आप ही तलाशी ललें चाहें तो मेरी तरफ से सहमति पत्र लिखले मैं हस्ताक्षर बना दूँगा। मुझ एस0आई0 द्वारा टाचों की रोशनी में सहमति पत्र तैयार किया गया था तथा अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये थे तथा नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी थी तो पहने पैन्ट की जेब से एक पालीथिन में 260 गोली डायजापाम बरामद हुई तथा पहने पैन्ट की बांयी तरफ कमर में खुसा हुए एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व एक अदद कारतूस बरामद किया गया। पकड़े गये व्यक्ति हनुमार से नशीली गोलियॉ व तमंचा कारतूस रखने का लाईसेंस मांगा गया तो नहीं दिखा सका। अतः उसका यह कृत्य धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट व धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध से अवगत कराकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का पालन करते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामदशुदा डायजापाम की गोलियॉ को रैपरों से अलग करके तौल की गयी तो तो 60 ग्राम निकली। बरामदशुदा गोलियों को एक अलग सफेद कपड़े में रखकर तथा तमंचा व कारतूस को एक अलग सफेद कपड़े में रखकर सिलकर शीलमुहर किया गया तथा नमूना मोहर बनाया गया। गिरफ्तारी मेमों मौके पर तैयार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजन को थाने से भेजी गयी थी। फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर हमराहियान व अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये थे। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी थी।

पी0डब्लू0–3 का0 केशवदास ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनॉक 7.7.2010 को मैं थाना सुमेरपुर में कान्स्टेबलके पद पर कार्यरत था। उक्त तिथि को समय 17:30 बजे जरिये नकल रपट नं0 26 थाना हाजा से एस0आई0 शिवप्रसाद, का0 अजय कुमार के साथ वास्ते जॉच कैथी क्षेत्र के लिए रवाना हुए थे। जब हम लोग धुन्धपुर प्राईमरी पाठशाला के पास पहुॅचे तो सड़क के किनारे एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। टार्च की रोशनी डालने पर वह व्यक्ति देखकर भागने लगा कि मौका दिये वगैर एस व्यक्ति को समय करीब 20:10 बजे पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूॅछा गया तो उसने अपना नाम हनुमान केवट पुत्र विश्वनाथ केवट निवासी ग्राम धुन्धपुर थाना सुमेरपुर बताया और यह भी बताया कि मेरे पास डायजापाम की नशीली गोलियॉ है इसलिए भागना चाह रहा था। इस पर एस0आई0 शिवप्रसाद ने पकड़े गये व्यक्ति को बताया कि एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत आपको यह अधिकार है कि आपकी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी मजिस्ट्रेट के सामने ली जाय। इस पर पकड़े गये व्यक्ति ने कहा कि मुझे आप लोगों के ऊपर विश्वास है आप सहमति पत्र लिखलें मैं हस्ताक्षर बनाये देता हूॅ। इस पर मौके पर ही एस0आई0 शिवप्रसाद ने सहमति पत्र तैयार किया। पकड़े गये व्यक्ति को पढ़कर सुनाया तो उसने अपना निशानी अंगूठा सहमति पत्र पर लगाया। मैंने व हमराही कान्स्टेबल केशवदास ने भी अपने अपने हस्ताक्षर मौके पर बनाये थे। पकड़े गये व्यक्ति से नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी तो पहने पैन्ट की जेब से एक पालीथिन में लिपटी 260 गोली डायजापमा तथा एक तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुआ। नशीली गोलियॉ व तमंचा रखने का लाईसेंस मांगा गया तो नहीं दिखा सका। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का पालन करते हुए अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लिया गया। डायजापाम की गोलियों की

तौल की गयी तो 60 ग्राम निकली। बरामद गोलियों व तमंचा कारतूस को अलग अलग कपड़े में रखकर सिलकर सर्वमुहर कर नमूना मोहर बनाया गया। फर्द मौके पर एस0आई0 शिवप्रसाद द्वारा लिखी गयी। गिरफ्तारी प्रपत्र एस0आई0 शिवप्रसाद ने मौके पर अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था।

10. अभियोजन की ओर से निर्णीत वाद **करनैल सिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान 2000 ए0सी0सी0 पेज 710 सुप्रीम कोर्ट** दाखिल किया गया है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभियुक्त के पास से एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत कोई मादक पदार्थ बरामद होता है और वह विक्रय आदि के लिए ले जाया जा रहा है और अभियुक्त को उस मादक पदार्थ के बारे में सम्पूर्ण जानकारी है तो ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को दिया गया दण्ड सही है।

11. अभियोजन की ओर से निर्णीत वाद **सुरेश उर्फ दहाड़े बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2002(44) ए0सी0सी0 पेज 312** दाखिल किया गया है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त के पास से सड़क की रोशनी में मादक पदार्थ पुलिस द्वारा बरामद किया जाता है और वहॉ पर दो गवाहों की उपस्थिति में माल सील किया जाता है और अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध केस पूर्ण रूप से साबित किया गया हो तो अभियुक्त को दिये गये दण्ड में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

12. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त हनुमान की ओर से विशेष वाद सं0 170/2010 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट एवं संत्र परीक्षण सं0 186/2010 धारा 25 आयुध अधिनियम में जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और घटना वाले दिन, समय व स्थान पर अपने कब्जे से नाजायज 260 गोली डायजापाम वजन 60 ग्राम व एक अदद तमंचा 315 बोर मय कारतूस नाजायज का बरामद होना सही बताया है। अभियुक्त ने मुकदमा सही चलाना भी कहा है। इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–1 का0 अजय कुमार, पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक शिवप्रसाद, पी0डब्लू0–3 केशवदास की साक्ष्य से व अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में की गयी संस्वीकृति तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर अभियोजन कथानक युक्ति युक्त संदेह से परे साबित होता है और अभियुक्त हनुमान के विरूद्ध लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट व धारा 25 आयुध अधिनियम युक्ति युक्त संदेह से परे साबित होता है जिससे अभियुक्त हनुमान धारा 8/22 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम की धारा 22(बी) व धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त हनुमान को धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

की धारा 22(बी) व धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त हनुमान जिला कारागार हमीरपुर में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनॉकः 22.02.2016

(राधेश्याम यादव।।)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–3,हमीरपुर।

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकारा गया। अभियुक्त हनुमान जिला कारागार हमीरपुर से उपस्थित आया। दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना।

अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसने अपनी इच्छा से जुर्म स्वीकार किया है। अभियुक्त हनुमान के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा किया गया यह प्रथम अपराध है अभियुक्त बहुत गरीब है अभियुक्त की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अभियुक्त के छोटे छोटे बच्चे है उनकी देखभाल एवं भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है पैरवी करने वाला कोई नहीं है।

अभियोजन द्वारा अभियुक्त हनुमान को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त द्वारा किया गया यह प्रथम अपराध है अभियुक्त बहुत गरीब है अभियुक्त की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अभियुक्त के छोटे छोटे बच्चे है उनकी देखभाल एवं भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है। पैरवी करने वाला भी कोई नहीं है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों, अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति एवं अभियुक्त हनुमान के कब्जे से हुई बरामदगी को देखते हुए अभियुक्त को धारा 8/22 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम की धारा 22(बी) के तहत जेल में बितायी गयी अवधि तथा 2,000/–रूपये के अर्थदण्ड व धारा 25 आयुध अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि तथा 2,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। अभियुक्त हनुमान की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वह इस समय जिला कारागार हमीरपुर में निरूद्ध है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त हनुमान द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 10–10 दिन के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अभियुक्त हनुमान को धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा 22(बी) व धारा 25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त हनुमार को धारा 8/22 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम की धारा 22(बी) के तहत जेल में बितायी गयी अवधि तथा 2,000/–रूपये के अर्थदण्ड व धारा 25 आयुध अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि तथा 2,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा

न करने पर अभियुक्त 10–10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा। दोनों सजायें एक साथ चलेंगी।

इस निर्णय व आदेश की एक प्रति सत्र परीक्षण सं0 186/2010 राज्य बनाम हनुमान धारा 25 आयुध अधिनियम की पत्रावली में रखी जाये।

अभियुक्त धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत 20,000/– रुपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इतनी ही धनराशि की दो जमानतें इस आशय से प्रस्तुत करें कि यदि इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील की जाती है, तो वे अपील का नोटिस प्राप्त होने पर अपने आपको माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उक्त बन्ध पत्र अग्रिम 6 माह तक प्रभाव में रहेगा।

माल मुकदमाती बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित हो।

सजायाफ्ती वारण्ट अविलम्ब जिला कारागार हमीरपुर भेजा जाये।

दिनॉकः 22.02.2016

(राधेश्याम यादव।।)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–3,हमीरपुर।

निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके सुनाया गया।

दिनॉकः 22.02.2016

(राधेश्याम यादव।।)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–3,हमीरपुर।